



## हरियाणा राज्य की राजनीति में महिलाओं की सहभागिता एवं सशक्तिकरण : एक अध्ययन

शोध निर्देशिका :

**डॉ० एकता चौधरी**

विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग,  
इस्माईल नेशनल महिला पी०जी०  
कॉलेज मेरठ, उत्तर प्रदेश

शोधार्थी :

**सुशील कुमार**

इस्माईल नेशनल महिला पी०जी०  
कॉलेज मेरठ  
चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय मेरठ,  
उत्तर प्रदेश

Date of Communication : 20.3.2025

Date of Acceptance : 26.3.2025

Date of Publication : 27.3.2025

### शोध पत्र सारांश

हरियाणा का इतिहास बहुत अधिक प्राचीन है, हरियाणा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मुख्य केंद्र रहा है, हरियाणा का इतिहास वैदिक संस्कृति से प्रारंभ होता है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र की भूमि पर श्री कृष्ण भगवान ने विश्व प्रसिद्ध गीता का ज्ञान दिया तथा कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध हुआ। महाभारत के काल से लेकर सन् 2024 तक हरियाणा के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास के अनेक चरण हैं।

हरियाणा ने देश को कई ऐसी महिला नेत्री दी जिन्होंने भारत ही नहीं विश्व भर में अपनी पहचान बनाई। सुषमा स्वराज सुचेता कृपलानी का देश की राजनीति में खास स्थान रहा है। कन्या भ्रूण हत्या, ऑनर किलिंग और घूँघट के लिए बदनाम रहे हरियाणा की बेटियों ने देश और प्रदेश की राजनीति को नए आयाम दिए हैं। सुषमा स्वराज, सुचेता कृपलानी, चंद्रावती और कुमारी सैलजा ऐसी महत्वपूर्ण महिलाएं हैं, जिन्होंने हरियाणा की राजनीतिक पृष्ठभूमि से निकलकर भारतीय राजनीति के बड़े मुकाम तक पहुंची हैं।

**बीजक शब्द :- राजनीति, महिला, लोकसभा, विधानसभा, सांसद, विधायक, हरियाणा**



## प्रस्तावना :-

हरियाणा में पिछड़ापन, गरीबी, राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृति, राजनीति में प्रवेश करने वाली महिलाओं का चरित्र हनन, समाज का अनुदारवादी दृष्टिकोण, महिलाओं के ऊपर परिवार का दायित्व राजनीतिक दलों और राजनेताओं का महिला विरोधी दृष्टिकोण, राजनीतिक दलों में सर्वोच्च स्थानों पर कुछ एक को छोड़कर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होना, राजनीतिक संप्रदायवाद, धर्मांधता, राजनीति में बाहुबल, कपट, छल, धन, गुंडागर्दी, प्रपंच का सामान्य होना इत्यादि मुख्य कारण हैं, इन के अतिरिक्त प्रत्येक राजनीतिक दल में परिवारवाद विद्यमान है, परिवारवाद के कारण राजनीतिक दलों के द्वारा परिवार के सदस्य अथवा रिश्तेदारों को टिकट दिलवाएँ जाते हैं, सामान्य कर्मठ, वफादार, जुझारू महिला कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता महिलाएँ इसलिए राजनीति में जाने से संकोच करती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय नेताओं से लेकर स्थानीय नेताओं तक महिलाओं के संबंध में अशोभनीय व्यवहार किया जाता है, यही सब बातें महिला प्रतिनिधियों के कम होने के मूल कारण हैं।

सन् 1947 से 1 नवंबर 1966 तक हरियाणा की राजनीति में हरियाणवी महिलाओं की भूमिका केवल दर्शक के रूप में रही है तथा उनकी कोई सक्रिय सहभागिता नहीं थी, शिक्षा के प्रचार और प्रसार के कारण महिलाएँ सार्वजनिक क्षेत्र में आने लगीं। सन् 2018 तथा सन् 2019 के अखिल भारतीय सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में छात्राओं की संख्या 50.77 प्रतिशत थी, अन्य शब्दों में छात्रों की अपेक्षा छात्राओं की संख्या 0.77 प्रतिशत अधिक थी।

21 वीं शताब्दी के प्रथम तथा द्वितीय दशक में गांव के विकास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आज हरियाणवी महिलाएँ राज्यपाल (चंद्रावती), सेना में कमांडर पुलिस में ऑफिसर, शिक्षक, वैज्ञानिक, अभियंता, न्यायाधीश, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर एवं वाइस चांसलर, आईएएस, आईपीएस, आई एफ एस, वकील, शोधार्थी, पत्रकार, संपादक, टीवी चैनल न्यूज एडिटर, विभिन्न राजनीतिक दलों की सदस्य तथा पदाधिकारी हैं। हरियाणवी महिलाएँ सौंदर्य प्रतियोगिताओं और खेलों में भाग लेती हैं ओलंपिक सहित अंतरराष्ट्रीय खेलों में हरियाणा की लड़कियों ने जो भूमिका निभाई है, उससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के गौरव को बढ़ा है मिला। ऐसी स्थिति में हरियाणा की महिलाओं के लिए राजनीति कोई अपवाद नहीं है।

महिलाओं के राजनीतिक सहभागिता के लिए संसार के विभिन्न देशों में अनेक तरीके अपनाए गए हैं, विश्व के 100 से अधिक देशों में संवैधानिक संशोधनों और कानूनों के जरिए महिलाओं के लिए विधान पालिकाओं में कोटा निर्धारित किया गया है, भारत में संसद तथा विधानसभा के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के संबंध में कई दशक से बिल निलंबित है, यद्यपि महिलाओं के लिए पंचायती राज के स्तर पर 20 से अधिक राज्यों में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, अनेक कमियों के बावजूद भी यह एक अच्छी शुरुआत मानी जाती है, संविधानिक आरक्षण तथा कानूनों के साथ-साथ महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा अपने संगठनों में ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कोटा निश्चित करना चाहिए, ऐसे कानून का निर्माण करना जरूरी है, यदि राजनीतिक दल अपने



संगठनों में तथा टिकट वितरण करते समय निर्धारित कोटे की महिलाओं को टिकट वितरण करें तो यह अच्छी पहल होगी।

दुनियाभर में सुषमा स्वराज व सुचेता कृपलानी, कुमारी सैलजा व किरण चौधरी ने हरियाणा की राजनीति में अहम स्थान बनाया है। हरियाणा महिलाओं ने खेल, साहित्य और बालीबुड तक अपनी प्रतिभा की धमक दिखाई। हरियाणा में महिलाएँ राजनीतिक रूप से भी काफी जागरूक हुई हैं। पिछले तीन लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान करने के मामले में महिलाएँ पुरुषों से आगे ही रही हैं, लेकिन उन्हें वह जगह नहीं मिली जिसकी वे हकदार थी। अभी तक 58 साल के इतिहास में संसद में महिलाओं ने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे ही विधानसभा में भी हालत बहुत अच्छे नहीं हैं। 1967 से लेकर 2024 के बीच हुए 15 विधानसभा चुनावों में केवल लगभग 100 महिलाएँ ही विधानसभा तक पहुँचने में कामयाब हो पाई हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक 13 महिला विधायक चुनकर आई थी। ऐसा ही 2024 के विधानसभा चुनाव में आया, क्योंकि उस बार भी 13 महिला विधायक चुनकर आयी है।

1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई, भारतीय संघ में हरियाणा 17वां में राज्य बना। नवगठित राज्य की स्थापना के पश्चात् पहला चुनाव सन् 1967 में हुआ सन् 1966 से सन् 2019 तक हरियाणा विधानसभा के 13 चुनाव हुए हैं। यद्यपि सन् 1966 से सन् 2020 तक महिला मतदाताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है इसके बावजूद भी पुरुष मतदाताओं की संख्या से काफी कम है सन् 1966 में महिला मतदाताओं की संख्या 20 लाख 57 हजार 541 थी सन् 2000 में नवी विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या 50 लाख 72 हजार 844 थी। सन 2019 में 13 वीं विधानसभा के चुनाव के समय महिला मतदाताओं की संख्या 85 लाख 12 हजार 231 थी, सन 2019 में हरियाणा में कुल मतदाता एक करोड़ 83 लाख 90 हजार 525 थे इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 98 लाख 72 हजार 42 थी। हरियाणा विधानसभा के प्रथम चुनाव सन् 1966 से सन् 2019 तक महिला मतदाताओं की संख्या 4 गुना बढ़ी है सन् 2019 के चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या 46 प्रतिशत तथा पुरुष मतदाताओं की संख्या 54 प्रतिशत थी।

इन महिलाओं ने किया संसद में हरियाणा का प्रतिनिधित्व हरियाणा से लोकसभा पहुँचने वाली महिलाओं में केन्द्रीय मंत्री रह चुकी कुमारी सैलजा, पुडुचेरी की उप राज्यपाल के पद तक पहुंची चंद्रावती, कैलाशो सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी और सुधा यादव और सुनीता दुग्गल के नाम शामिल हैं। कुमारी सैलजा की पकड़ कांग्रेस पार्टी में मजबूत है।

### (1) हरियाणा की राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण महिलाएँ :-

हरियाणा की राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण महिलाएँ भी हुई है, जिन्होंने हरियाणा राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो निम्न प्रकार है :-



### (i) अंतराष्ट्रीय स्तर पर छाई सुषमा स्वराज :-

हरियाणा की सरजमीं से राष्ट्रीय फलक तक पहुंचीं सुषमा स्वराज ने राष्ट्रीय राजनीति में लंबा समय बिताया है। भाजपा की शीर्ष राजनेता में शुमार सुषमा कई विभागों की मंत्री रह चुकी है और मोदी सरकार में विदेश मंत्री के रूप में दुनियाभर में अलग छाप छोड़ी थी। वह लोकसभा में विपक्ष की नेता रही हैं।

छह बार सांसद और तीन बार विधायक चुनी गईं सुषमा वर्ष 1998 में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थीं और उनका कार्यकाल मात्र दो महीने का रहा। वह वाजपेयी सरकार में मंत्री थीं। पेशे से वकील रहीं सुषमा ने वर्ष 1977 में हरियाणा से अपने करियर की शुरुआत की थी।

### (ii) कुमारी सैलजा :-

सिरसा लोकसभा सीट से चार बार सांसद रहे चौधरी दलबीर सिंह की बेटी कुमारी सैलजा ने चार बार लोकसभा का चुनाव जीता है। तीन बार सिरसा से और दो बार अंबाला से। सैलजा ने सबसे पहले वर्ष 1991 में हुए 10वें लोकसभा चुनाव में सिरसा सीट से जीत हासिल की थी। वर्ष 1996 के चुनाव में भी सैलजा ने जीत हासिल की और वर्तमान में हुए लोकसभा चुनाव में वे सिरसा से सांसद हैं। 2004 के आम चुनाव में जीत हासिल कर कुमारी सैलजा केंद्र सरकार में मंत्री बनी वर्ष 2009 लोकसभा चुनाव में भी सैलजा ने अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव जीता और केंद्र सरकार में मंत्री बनीं।

### (iii) डॉ० सुधा यादव :-

वर्तमान में भाजपा की राष्ट्रीय सचिव डा० सुधा यादव ने दो बार लोकसभा चुनाव जीता। पेशे से लेक्चरर डॉ० सुधा यादव के पति सुखबीर सिंह यादव बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट थे और कारगिल युद्ध में देश के लिए शहीद हो गए थे। डॉ० सुधा यादव ने पहला लोकसभा चुनाव वर्ष 1999 में जीता था। 2004 और इसके बाद वर्ष 2009 के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा।

### (iv) चंद्रावती :-

हरियाणा बनने के बाद भिवानी हिसार लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा होता था। उस समय हिसार लोकसभा क्षेत्र की पहली सांसद बनने का गौरव पांडिचेरी की पूर्व उप राज्यपाल चंद्रावती के नाम है। चंद्रावती ने सन् 1977 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल को न केवल करारी शिकस्त दी, बल्कि अब तक का सर्वाधिक वोट प्रतिशत हासिल करने का रिकार्ड भी उन्हीं के नाम से है। चंद्रावती प्रदेश की पहली अधिवक्ता थीं। हरियाणा बार एसोसिएशन में उनका बतौर महिला अधिवक्ता पहला रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है।

### (v) श्रुति चौधरी :-

प्रदेश के बढ़ते राजनीतिक घराने चौधरी बंसीलाल की वारिस श्रुति चौधरी वर्ष 2009 भिवानी-महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। पिता चौधरी सुरेंद्र और मां किरण



चौधरी से राजनीति उन्हें विरासत में मिली है।

### (vi) कैलाशो सैनी:-

इस समय कांग्रेस में राजनीति कर रही कैलाशो सैनी इनेलो के टिकट पर कुरुक्षेत्र से दो बार लोकसभा के लिए चुनी गई।

### (vii) किरण चौधरी :-

किरण चौधरी अपने बलबूते पर राजनीति में बढ़ीं पूर्व सीएम स्व० बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी राजनीति में अपने बलबूते पर आई थीं। उन्होंने 1998 में दिल्ली कैट से चुनाव लड़ा और दिल्ली में डिप्टी स्पीकर बनीं। वर्ष 2005 में पति सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद किरण ने हरियाणा की राजनीति में प्रवेश किया। तोशाम उपचुनाव में किरण के खिलाफ किसी भी पार्टी ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। बंसीलाल के समर्थक उनके साथ जुड़ गए। अब किरण चौधरी हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम है और कांग्रेस विधायक दल की नेता के रूप में उन्हें दबंग लीडर माना जाता है।

### महिला राजनीतिक सहभागिता के लिए सुझाव:-

महिलाओं के राजनीतिक सहभागिता के लिए संसार के विभिन्न देशों में अनेक तरीके अपनाए गए हैं विश्व के 100 से अधिक देशों में संवैधानिक संशोधनों और कानूनों के जरिए महिलाओं के लिए विधान पालिकाओं में कोटा निर्धारित किया गया है। भारत में संसद तथा विधानसभा के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के संबंध में कई दशक से बिल निलंबित है यद्यपि महिलाओं के लिए पंचायती राज के स्तर पर 20 अधिक राज्यों में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनेक कमियों के बावजूद भी यह एक अच्छी शुरुआत मानी जाती है। संविधानिक आरक्षण तथा कानूनों के साथ-साथ महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा अपने संगठनों में ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कोटा निश्चित करना चाहिए, ऐसे कानून का निर्माण करना जरूरी है यदि राजनीतिक दल अपने संगठनों में तथा टिकट वितरण करते समय निर्धारित कोटे की अवहेलना करें तो चुनाव आयोग के द्वारा उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाए।

हरियाणा विधानसभा के चुनाव में महिला प्रत्याशियों की संख्या पुरुष प्रत्याशियों की संख्या से बहुत कम सन् 1966 से सन् 2019 तक हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कुल प्रत्याशियों में पुरुषों की संख्या अधिक और महिलाओं की संख्या कम है। सन् 1967 के प्रथम चुनाव में कुल प्रत्याशी 471 थे, इनमें से पुरुष प्रत्याशियों की संख्या 663 जबकि महिला प्रत्याशियों की संख्या केवल 8 थी। सन् 1968 के चुनाव में कुल प्रत्याशी 398 थे। इनमें से पुरुषों की संख्या 5865 तथा महिला प्रत्याशियों की संख्या केवल 12 थी। सन् 1972 में 384 प्रत्याशियों में 371 पुरुष प्रत्याशी तथा 13 महिला प्रत्याशी थे सन् 1977 के चुनाव में 671 प्रत्याशियों में 651 पुरुष प्रत्याशी तथा 21 महिला प्रत्याशी थी। सन् 1982 में कुल 1095 प्रत्याशियों में 1068 पुरुष तथा 27 महिला प्रत्याशी सन् 1987 के चुनाव में कुल 1322 प्रत्याशियों में 2287 पुरुष तथा 35 महिला





प्रत्याशी, सन् 1991 के चुनाव में कुल अद्वारह सो पचासी प्रत्याशियों में 1844 पुरुष प्रत्याशी, तथा 41 महिला प्रत्याशी। सन् 1996 के चुनाव में कुल 2608 प्रत्याशियों में 2515 पुरुष तथा 93 महिला प्रत्याशी थे। सन् 2000 में कुल 965 प्रत्याशियों में 916 पुरुष तथा 49 महिला प्रत्याशी। सन् 2005 में कुल 983 प्रत्याशियों में 923 पुरुष तथा 60 महिला प्रत्याशी। सन् 2009 में कुल 1222 प्रत्याशियों में 1154 पुरुष तथा 116 महिला प्रत्याशी महिला प्रत्याशी। सन् 2014 में कुल 1551 प्रत्याशियों में 1235 पुरुष तथा 116 महिला प्रत्याशी तथा सन् 2019 के चुनाव में कुल 1272 प्रत्याशियों में 1168 पुरुष तथा 104 महिला प्रत्याशी थे। इस विस्तृत विवरण से स्पष्ट होता है, कि सन् 1966 से सन् 2019 तक विधानसभा चुनावों में 52 वर्षों में सन् 2014 तथा सन् 2019 के चुनाव को छोड़कर महिला प्रत्याशियों का आंकड़ा कभी भी 100 पार नहीं कर पाया। सन् 1966 में महिला प्रत्याशियों की संख्या केवल चार थी, जबकि सन् 2014 में 116 हो गई, अन्य मामलों में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई सन् 2019 के चुनावों में सन् 2014 के मुकाबले महिला प्रत्याशियों की संख्या 12 कम थी। यहां यह बताना अनिवार्य है, कि राजनीतिक दलों के द्वारा महिलाओं को चुनाव में प्रत्याशी बनाने में संकोच है केवल यही नहीं अपितु सभी चुनाव क्षेत्रों में महिला प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ते उदाहरण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ के नारे पर बल देती है इसके बावजूद भी सन् 2019 के चुनाव में केवल 52 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में महिला प्रत्याशी थी। अन्य 48 चुनाव क्षेत्रों में एक भी महिला प्रत्याशी नहीं थी, जब तक महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में चुनाव में नहीं उतारा जाएगा तब तक महिला सशक्तिकरण के सभी दावे खोखले और जुमले हैं, क्योंकि राजनीतिक शक्ति के बिना महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता।

भारत में कानून निर्माण और संवैधानिक संशोधन के साथ-साथ समाज की महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन की बहुत अधिक आवश्यकता है। जितना अधिक महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण होगा उतना ही अधिक राष्ट्र मजबूत होगा, क्योंकि अधिकांश महिलाएँ अधिक समझदार संवेदनशील, सहयोगी, समन्वयक और सद्भावना से से परिपूर्ण हैं महिला राजनीतिक सशक्तिकरण का सर्वोत्तम उदाहरण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का है, बांग्लादेश के निर्माण में जिस तरीके से इंदिरा गांधी के द्वारा अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के विरोधी होने के बावजूद भी भारतीय सेना के सहयोग से सफलता प्राप्त की विश्व के लिखित इतिहास में इंदिरा गांधी सद्दृश्य गांधी एवं अतुलनीय कोई अन्य उदाहरण नहीं है।

**निष्कर्ष :** हरियाणा राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण महिलाओं की सहभागिता इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य रहा है, जहाँ महिलाओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, परन्तु कुछ महत्वपूर्ण महिलाएँ हुई हैं, जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है और उन महिलाओं ने हरियाणा का नाम देश व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। हम यहाँ यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कि हरियाणा राज्य में अगर एक आम महिला को भी राजनीति में भागीदार बनाया जाए तो वे आम महिलाएँ भी हरियाणा राज्य का नाम रोशन करेगी। ऐसा करने से हरियाणा राज्य का नाम रोशन करेगी। ऐसा करने से हरियाणा की महिलाओं का मनोबल



बढ़ेगा और हरियाणा में महिलाएँ सशक्त होगी और आने वाले समय में महिलाएँ राजनीति में ऊँच स्तर से सहभागिता करेगी।

### संदर्भ सूची

1. अहमद डॉ० एजाज : हरियाणा का इतिहास, प्राचीन कालीन से आधुनिक तक के० के० पब्लिकेशन पंचकूला हरियाणा, संस्करण-2016, पृ०सं० 214
2. मोहन रमणीक : ग्रामीण हरियाणा में घूँघट प्रथा (बदलते स्वरूप) 1880से मौजूदा दौर तक, आकाश बुक प्रतापनगर दिल्ली, संस्करण-2020 पृ०सं० 311
3. शर्मा, पी०डी० : महिला सशक्तिकरण और नारीवाद रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, संस्करण-2017 पृ०सं० 64
4. यादव ललित : सरकारी योजनाएँ एवं ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, संस्करण-2018, पृ०सं० 187
5. कौशिक डॉ० शील : हरियाणा की महिला रचनाकार, विविध आयाम हरियाणा ग्रन्थ, अकादमी पंचकूला, संस्करण-2014, पृ०सं० 403
6. शर्मा मंजू : मेरा हरियाणा, डायमण्ड बुक, दिल्ली, संस्करण-2022, पृ०सं० 22
7. सिंह प्रो० रणबीर : हरियाणा का राजनीति, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, संस्करण-2023, पृ०सं० 202
8. सिंह इन्दराज : महिला सशक्तिकरण, डायमण्ड बुक, नई दिल्ली, संस्करण-2022, पृ०सं० 22
9. आरोही ई-पत्रिका : जनगणना कार्य निदेशालय, हरियाणा चंडीगढ़ हरियाणा, वर्ष 2023, पृ०सं० 27
10. आरोही ई-पत्रिका : जनगणना कार्य निदेशालय, हरियाणा चंडीगढ़ हरियाणा, वर्ष 2020, पृ०सं० 32
11. खड़ेला मानसिंह : महिला सशक्तिकरण, अरिहंत पब्लिकेशन, हाउस जयपुर संस्करण-2002 पृ०सं० 103
12. डॉ० अभिनव : हरियाणा में राजनीति एक राजनीति चेतना, पेन टू प्रिन्ट पब्लिशिंग, नई दिल्ली, संस्करण-2024, पृ०सं० 177